



कार्यालय कलेक्टर,(आदिवासी विकास शाखा)जिला कोण्डागांव, छत्तीसगढ़
(जिला निर्माण समिति)

दूरभाष (कार्यालय) 07786-243028 (फैक्स) 07786243028

क्रमांक/ 1602 /आ0वि0/टी.निर्माण/जिनिस/2021-22 कोण्डागांव, दिनांक 08/10/2021
प्रति,

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र
जिला कोण्डागांव (छ.ग.),

विषय :- 100 सीटर अजजा बालक छात्रावास रांधना का भवन निर्माण वि0ख0 माकड़ी का
भवन निर्माण विद्युतिकरण एवं अन्य कार्य सहित निविदा क्रमांक...1.5.9.9 को
Kondagaon.gov.in वेबसाइट में अपलोड करने बाबत ।

* * * *

विषयान्तर्गत लेख है कि 100 सीटर अजजा बालक छात्रावास रांधना का भवन निर्माण
विद्युतिकरण एवं अन्य कार्य सहित निविदा क्रमांक 1.5.9.9 को Kondagaon.gov.in में अपलोड
किया जाना है । जिससे की ऑनलाईन वेबसाइट में देखी जा सके ।

कृपया उक्त निविदा सूचना क्रमांक..... के दस्तावेजो को अपलोड करने का
कष्ट करें ।

सहपत्र:-उपरोक्तानुसार ।

सहायक आयुक्त / नोडल अधिकारी
आदिवासी विकास, जिला निर्माण समिति
जिला- कोण्डागांव

पृ0क्र0 1602 P /आ0वि0/टी निर्माण/जि0नि0स0/2021-22 कोण्डागांव, दिनांक 08/10/2021
प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला निर्माण समिति, कोण्डागांव की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

सहायक आयुक्त / नोडल अधिकारी
आदिवासी विकास, जिला निर्माण समिति
जिला- कोण्डागांव



कार्यालय कलेक्टर एवं अध्यक्ष (जिला निर्माण समिति)
जिला कोण्डागांव (छ0ग0)

//मैनुअल पद्धति प्रथम निविदा आमंत्रण//

क्रमांक / 1597 / आ0वि0 / टी.निर्माण / जिनिस / 2021-22 कोण्डागांव, दिनांक 08 / 10 / 2021

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल की ओर से कार्यालय कलेक्टर आ0वि0 शाखा (जिला निर्माण समिति) कोण्डागांव में दो लिफाफा पद्धति से मुख्य अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा जारी दिनांक 01.06.2015 से प्रचलित व प्रभावशील दर अनुसूची एवं प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग रायपुर (छ0ग0) के द्वारा जारी भवन-सड़क-पुलिया निर्माण कार्य हेतु दिनांक 01.01.2015 तथा विद्युतीकरण कार्य हेतु दिनांक 01.06.2020 से प्रभावशील दर अनुसूची निविदा आमंत्रण तिथि तक संशोधित दर अनुसूची पर निविदा प्रपत्र "अ" में प्रतिशत के आधार पर दर निम्नांकित कार्यों के लिए लोक निर्माण विभाग में एकीकृत पंजीयन प्रणाली में सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से मुहरबंद निविदाएं स्पीड पोस्ट से आमंत्रित की जाती है।

01. कार्यालय में निविदा लिफाफे प्राप्ति की अंतिम तिथि - 15/11/2021 संध्या 5:00 बजे तक।
02. कार्यालय में निविदा लिफाफे खोले जाने की तिथि - 17/11/2021 प्रातः 11.30 बजे।

क्र०	कार्य का नाम	ठेके की अनुमानित राशि (लाख में)	अमानत राशि (रु. में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि	ठेकेदारों का वर्गीकरण
1	2	3	4	5	6
1	100 सीटर अजजा बालक छात्रावास रांधना वि0ख0 माकड़ी का भवन निर्माण (आंतरिक विद्युतिकरण एवं अन्य कार्य सहित)	190.70	143025/-	12 माह वर्षा ऋतु को छोड़कर	ब वर्ग या अधिक

2. उपरोक्त निर्माण कार्यों की निविदा की सामान्य शर्तें, विस्तृत निविदा विज्ञप्ति (परिशिष्ट - 2.10 एवं निविदा दस्तावेज परिशिष्ट-2.13) एवं अन्य जानकारियां कार्यालयीन अवधि में कार्यालय- जिला निर्माण समिति, जिला कोण्डागांव में अथवा ऑनलाईन kondagaon.gov.in वेबसाइट में दिनांक 18.10.2021 से देखी एवं डाउनलोड की जा सकती है।

3. निविदा की अन्य शर्तें निम्नानुसार है -

- 1) एकीकृत पंजीयन प्रणाली के अंतर्गत उपयुक्त श्रेणी में लोक निर्माण विभाग से पंजीकृत होना अनिवार्य है।
- 2) निविदा प्रपत्र दिनांक 18.10.2021 से ऑनलाईन kondagaon.gov.in वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं। निविदा प्रपत्र का निर्धारित मूल्य डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में (Payable at Central Bank) निविदा जमा करते समय जमा करना अनिवार्य है (प्रथम लिफाफा)।

- 3) निविदा मैनुअल दो अलग-अलग लिफाफा पद्धति में प्रस्तुत किया जावेगा। प्रथम लिफाफा में प्रस्तुत एकल पंजीयन, डिमाण्ड ड्राफ्ट (D.D.) अमानत राशि (FDR/TDR), बैंक साल्वेंसी, पेन कार्ड, आयकर रिटर्न, श्रमिक पंजीयन अथवा ई0पी0एफ0, जी.एस.टी., वर्क लोड, तकनीकी व्यक्ति का नियोजन, मशीनरी सामग्री उपलब्धता, दस्तावेज की सत्यता एवं किसी भी विभाग में ब्लैक लिस्टेड नहीं होने के संबंध में रु. 50.00 का शपथ पत्र सही प्राप्त होने की दशा में ही वित्तीय प्रस्ताव (द्वितीय लिफाफा) खोला जावेगा।
- 4) कार्य हेतु धरोहर/अमानत की राशि FDR/TDR के रूप में नोडल अधिकारी सहायक आयुक्त, आ0वि0 (जिला निर्माण समिति) कोण्डागांव के नाम से देय होगा। अमानत राशि की वैधता तिथि जारी होने के दिनांक से 18 माह की होगी (प्रथम लिफाफा)।
- 5) पेन कार्ड की छायाप्रति (प्रथम लिफाफा)।
- 6) आयकर रिटर्न विगत 03 वर्ष का प्रस्तुत करना अनिवार्य है (प्रथम लिफाफा)।
- 7) ई0पी0एफ0 पंजीयन प्रमाण पत्र की छायाप्रति (प्रथम लिफाफा)।
- 8) श्रमिक पंजीयन कार्यादेश के 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करना होगा। अन्यथा आपके द्वारा प्रस्तुत देयक का भुगतान नहीं किया जावेगा।
- 9) Goods Service Tax (GST) पंजीयन प्रमाण-पत्र की छायाप्रति (प्रथम लिफाफा)।
- 10) तकनीकी कर्मचारी का नियोजन प्रमाण-पत्र सहमति पत्र सहित (प्रथम लिफाफा)।
- 11) विद्युतीकरण कार्यों को लोक निर्माण विभाग में पंजीकृत ठेकेदार के देख-रेख (सिविल+विद्युत ठेकेदार का अनुबंध कर) कार्य पूर्ण कराना होगा। विद्युतीकरण कार्य का भुगतान इकरार नामा (अनुबंध पत्र) प्राप्त होने पर ही किया जावेगा।
- 12) निर्माण कार्य में प्रयुक्त किये जाने वाले आवश्यक संयंत्र, मिक्सर मशीन, लिफ्ट मशीन एवं वाईब्रेटरआदि अन्य सामग्रियों की (निविदाकर्ता के नाम पर) उपलब्धता का प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा (प्रथम लिफाफा)।
- 13) विभिन्न विभागों में चल रहे कार्यों के कार्यवार लागत/किए गए कार्य की लागत/शेष कार्य की लागत के विवरण की अद्यतन सूची संलग्न करना होगा (प्रथम लिफाफा)।
- 14) प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों की सत्यता एवं ठेकेदार के किसी भी विभाग में ब्लैक लिस्टेड नहीं होने के संबंध में राशि रु0 50.00 का शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है (प्रथम लिफाफा)।
- 15) बैंक साल्वेंसी नियमानुसार राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी जो निविदा राशि का 15% के बराबर तथा निविदा जारी दिनांक से 12 माह से अधिक पुराना न हो प्रस्तुत करना होगा (प्रथम लिफाफा)।
- 16) समस्त दस्तावेज नोटरी अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित होना अनिवार्य है।
- 17) सशर्त निविदा स्वीकार योग्य नहीं होंगे।
- 18) निविदा प्रपत्र कार्यालय में रजिस्टर्ड पोस्ट (ए.डी)/स्पीड पोस्ट के माध्यम से जमा करना होगा। निर्धारित दिनांक/समयावधि के पश्चात प्राप्त निविदा स्वीकार्य नहीं होगा। प्राप्त निविदाएं आगामी कार्यालयीन दिवस में प्रातः 11.30 बजे खोली जायेगी। शासकीय अवकाश होने पर अगले कार्यदिवस में खोली जा सकेगी।
- 19) शासन द्वारा समय-समय पर लागू कटौतियां अनिवार्यतः की जावेगी।
- 20) जिन ठेकेदारों ने पूर्व में किसी भी निर्माण विभाग (लो.नि.वि./ग्रा.यां.से./गृह निर्माण/जल संसाधन एवं अन्य शासकीय विभाग) में कार्य अधूरे छोड़े हैं, अथवा बगैर कारण कोई भी स्वीकृत कार्य का अनुबंध नहीं किया है, उन्हें भी तकनीकी रूप से अयोग्य घोषित किया जावेगा।

- 21) निर्माण कार्य अनुबंधित अवधि के अंदर पूर्ण करना अनिवार्य होगा। निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण नहीं होने की दशा में प्रत्येक दिन के आधार पर निर्धारित पेनाल्टी (अर्थदण्ड) अधिरोपित की जावेगी तथा अपरिहार्य परिस्थितियों के मद्देनजर कलेक्टर सह अध्यक्ष द्वारा निर्माण अवधि में वृद्धि की जा सकेगी।
- 22) ठेकेदार के द्वारा एस.ओ.आर. से असंतुलित दर भरे जाने की स्थिति में जितने प्रतिशत कम निविदा दर प्राप्त होगा उतने प्रतिशत अतिरिक्त अमानत राशि एफ.डी.आर के रूप में अनुबंध के पूर्व कलेक्टर एवं अध्यक्ष, जिला निर्माण समिति कोण्डागांव के पक्ष में जमा करना होगा।
- 23) निविदाएँ निविदाकारों या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष कलेक्टर कार्यालय, जिला निर्माण समिति, जिला कोण्डागांव में खोले जावेंगे, जो निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थिति रहेंगे।
- 24) जिला निर्माण समिति के पास यह अधिकार सुरक्षित रहेगा की वह किसी भी निविदा को बिना कोई कारण बताए अस्वीकार/निरस्त कर सकता है। किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में कलेक्टर, एवं अध्यक्ष, जिला निर्माण समिति, जिला कोण्डागांव का निर्णय अंतिम व मान्य होगा।
- 25) यदि कोई ठेकेदार पावर आफ एटार्नी के आधार पर कार्य को सबलेट करता है, तो उसका अनुबंध समाप्त करने हेतु विभाग पूर्णतः सक्षम रहेगा। सबलेट में दिये गये कार्य की राशि मूल ठेकेदार के अनुभव में से कम किया जावेगा।
- 26) विशेष शर्त की कंडिका 4 के अनुसार परफार्मेंस गारंटी के रूप में प्रत्येक देयक से 5% अतिरिक्त सुरक्षा निधि काटी जाएगी जिसे कार्य पूर्ण होने पर 36 माह की बैंक गारंटी में बदला जा सकता है। ठेकेदार चाहे तो अनुबंध के पूर्व अनुबंध राशि की 5% अतिरिक्त बैंक गारंटी जमा कर सकता है। ऐसी स्थिति में प्रत्येक देयक से अतिरिक्त 5% की राशि की कटौती नहीं की जावेगी।
- 27) अपूर्ण, अस्पष्ट, अपठनीय एवं कटे/फटे निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
- 28) परिशिष्ट 2.10 के Annexure G (Special Condition) के अनुसार कार्य पूर्ण होने के पश्चात् 03 वर्ष तक कार्य का संधारण ठेकेदार को करना होगा, जिसके लिए कोई राशि अलग से देय नहीं होगा।
- 29) यह विज्ञप्ति एवं उपरोक्त सामान्य शर्तें अनुबंध का एक भाग है।
- 30) धनराशि की उपलब्धता के अनुसार कार्य का कार्यादेश जारी किया जा सकेगा।

सहायक आयुक्त/नोडल अधिकारी
आदिवासी विकास/जिला निर्माण समिति
जिला- कोण्डागांव